सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 07, गुरूवार, *शाके 1946- नवम्बर 28, 2024*

Agrahayana 07, Thursday, Saka 1946- November 28, 2024

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.). जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, नवम्बर 18, 2024

D. 989: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **132 के.वी. एकल परिपथीय लाइन बाड़मेर से शिव, -बाड़मेर बाईपास के निर्माण किमी (0+560, 03+200) पर स्थानांतरण व ऊंचाई परिवर्तन हेतु, उपरोक्तलाइन पुनर्निर्माण के लिए मार्ग-अधिकार अर्थात राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है। उक्त एकल परिपथीय लाईन निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्र. सं.	गांवो के नाम
1	जालिपा
2	बाड़मेर मगरा
3	जाटों की ढ़ाणी
4	मालियों की ढ़ाणी
5	लुम्बरलाई तलाई

सुरेन्द्र वशिष्ठ,

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि)

रा.रा.वि.प्र.नि.लि, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।